


18.06.2024:—पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। तलबी स्तर पर लंबित हैं। प्रार्थी वकील को वास्ते तलबी कई अवसर दिये जा चुके हैं। दिनांक 25.01.2024 को 200 कोष्ट व दिनांक 09.10.2024 को बार बार आवाज लगाई गई कोष्ट पर अवसर दिया गया। वादी व वादी अधिवक्ता को पुन आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़